विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

XIIवीं योजना (2012–2017) के दौरान अध्यापकों के लिए लघु अनुसंधान परियोजना संबंधी दिशानिर्देश

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002
वेबसाइट : www.ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

XIIवीं योजना (2012–2017) के दौरान अध्यापकों के लिए लघु अनुसंधान परियोजना संबंधी दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना और उद्देश्य

सभी विषयों के अनुसंधानकर्ताओं की बड़ी संख्या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों के रूप में कार्य करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विशेषज्ञता के क्षेत्रों में अलग–अलग और उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

2. पात्रता/लक्ष्य समूह

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों (जो केवल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अंतर्गत आते हों) के स्थायी/नियमित रूप से कार्य करने वाले अध्यापकों को मुख्यतः सहायक प्रोफेसरों (प्रवक्ताओं) को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो अध्यापन कार्य के साथ–साथ लघु अनुसंधान परियोजना पर कार्य करना चाहते हैं या किसी अनुमोदित पर्यवेक्षक के अधीन डॉक्टर की डिग्री के लिए कार्य कर रहे हों।

स्व–वित्तोषित संस्थाओं (स्व–वित्तपोषित महाविद्यालयों) में कार्य करने वाले ऐसे स्थायी अध्यापकों को यह सहायता प्रदान की जाती है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए उपयुक्त संस्था) नियमावली, 1975 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों और इस शर्त को पूरा करते हों कि ऐसे महाविद्यालयों में सेवारत हों जो राज्य/विश्वविद्यालय शुल्क विनियम या लागू कानूनों में निर्धारित शुल्क लेते हों और इस योजना के अधीन आवेदनपत्र देने के पात्र भी हों।

कार्यरत अध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की किसी परियोजना/योजना के अधीन केवल एक बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जिस सुविधा के संबंध में संबंधित प्रधान अन्वेषक द्वारा पहले प्रस्ताव दिया गया हो और जिसे स्वीकृति दी गई हो, उसे पहले वाले प्रस्ताव को अन्य प्रस्ताव देने से पहले अवश्य पूरा करना चाहिए। इस नियम का पालन न करने वाले प्रधान अन्वेषक और संस्थाओं को ऐसी सभी योजनाओं के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अदा की गई संपूर्ण रकम वापस करनी होगी। उन

पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भावी कार्यक्रमों में भाग लेने पर भी रोक लगाई जा सकती है। प्रधान अन्वेषक और मेजबान संस्था का यह दायित्व होगा कि वह परियोजना की पूरी जिम्मेदारी ले। एक योजना के पूरा होने के बाद (उस परियोजना के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख) यदि कोई अध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अन्य परियोजना में कार्य करना चाहता हो तो इसके लिए एक वर्ष का अंतराल आवश्यक होगा। प्रधान अन्वेषक को चाहिए कि वह उक्त परियोजना के पूरा होने से किसी संगोष्ठी में किसी पुस्तक/लेख/प्रस्तुतीकरण के रूप में किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में दो लेख अवश्य प्रकाशित करे।

पुस्तकालय विज्ञान और शारीरिक शिक्षा का शिक्षण संकाय भी इस योजना में भाग ले सकता है।

प्रस्ताव अग्रेषित करने वाले महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में अनुसंधान की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए।

3. सहायता का प्रकार

अध्यापकों को दी जाने वाली सहायता की रकम इस प्रकार होगीः

इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, फार्मेसी, कृषि आदि सहित विज्ञान में लघु अनुसंधान परियोजना – 5.00 लाख रुपए।

मानविकी, सामाजिक विज्ञान भाषा, साहित्य कला, विधि और विविध विषयों में लघु अनुसंधान परियोजना – 3.00 लाख रुपए।

अनावर्ती अनुदान

क. उपस्कर (केवल लघु उपस्कर)

ख. पुस्तक और पत्रिकाएं

उपस्कर और पुस्तक तथा पत्रिका अनुदान का उपयोग प्रस्तावित अनुसंधान कार्य के लिए अनिवार्य उपस्करों और आवश्यक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की खरीद के लिए किया जाएगा।

लघु अनुसंधान परियोजना के अधीन प्रधान अन्वेषक द्वारा प्राप्त किए गए उपस्करों और पुस्तकों तथा पत्रिकाओं को विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था में जमा किया जाना चाहिए या परियोजना के पूरा होने के बाद विभागीय पुस्तकालय या केंद्रीय पुस्तकालय में जमा किया जाना चाहिए। ये वस्तुएं संस्था की संपत्ति होंगी।

आवर्ती अनुदान

(क) भाड़ा सेवा

यह अनुदान नमूना विश्लेषण विशेषज्ञता जैसे तकनीकी कार्य के लिए होता है जिसके लिए विश्वविद्यालय/संस्था में कोई सुविधाएं नहीं हैं या ऐसी सेवाओं को अदायगी के आधार पर प्राप्त किया जाता है।

(ख) आकस्मिकता

स्वीकार्य आकस्मिकता अनुदान का उपयोग इस परियोजना के लिए आवश्यक उपकरणों के अतिरिक्त पुर्जों, फोटोस्टेट प्रतियों और माइक्रोफिल्म, टाइपिंग कार्य, लेखनसामग्री, डाक टिकट, टेलीफोन कॉल, इंटरनेट, फैक्स, मुद्रण कार्य के लिए किया जाएगा। लेखापरीक्षा शुल्क के संबंध में किए जाने वाले व्यय का दावा भी आकस्मिक शीर्ष के अधीन किया जाएगा।

(ग) विशेष आवश्यकता : यह सहायता इस परियोजना के संबंध में ऐसी किसी अन्य विशेष आवश्यकता के लिए दी जाएगी, जो इस योजना के अधीन सहायता के किसी अन्य 'शीर्ष' के अंतर्गत नहीं आती हो।

(घ) रसायन और उपभोज्य सामग्री

रसायन कांच के बर्तन और अन्य उपभोज्य मदों पर किए जाने वाले को पूरा करने के लिए।

(ड.) यात्रा और फील्ड कार्य

'यात्रा/फील्ड' कार्य शीर्ष के अधीन आबंटित रकम का उपयोग डेटा एकत्र करने और दस्तावेजों तथा चालू परियोजना के सामान्य कार्यक्षेत्र तथा विषय क्षेत्र के अंदर पुस्तकालयों का दौरा करने जैसी अन्य सूचना एकत्र करने के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि में भाग लेने के लिए नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार फील्ड कार्य/डेटा एकत्र करने के लिए विशेष आकस्मिक छुट्टी/ड्यूटी छुट्टी भी दी जाएगी।

(च) पुनर्विनियोजन

प्रधान अन्वेषक, कुल सचिव/प्रधानाचार्य की अनुमति से प्रत्येक शीर्ष के अधीन आबंटित आवर्ती अनुदान के अधिकतम 20 प्रतिशत का पुनर्विनियोजन कर सकता है, जिसकी सूचना उसे औचित्य सहित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी देनी होगी।

(छ) कार्यकाल और कार्यान्वयन

<u>दो वर्ष</u>

परियोजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख का उल्लेख अनुमोदन एवं स्वीकृति पत्र में किया जाएगा।

4. आवेदनपत्र देने की प्रक्रिया

महाविद्यालयों की सभी पात्र अध्यापक 01 अप्रैल से 31 जुलाई तक लघु अनुसंधान प्रस्ताव के आवेदनपत्र निर्धारित प्रोफार्मा में भोपाल, कोलकाता, गुहावाटी, हैदराबाद, बैंगलोर और पुणे में स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। दिल्ली सहित उत्तरी क्षेत्र के महाविद्यालयों के अध्यापक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उत्तरी क्षेत्र महाविद्यालय ब्यूरो (एनआरसीबी), 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली – 110 001 को अपने आवेदनपत्र प्रस्तुत करेंगे। आवेदनपत्र प्रस्तुत करने से पहले संबंधित संस्था अपने अनुसंधान निकाय से उस प्रस्ताव का मूल्यांकन करवाएगा और इस आशय का प्रमाणपत्र देगा कि प्रस्तावित अनुसंधान कार्य लघु अनुसंधान परियोजना संबंधी दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की लघु परियोजनाओं पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अपने विकास अनुदान से कार्रवाई करेगा।

5. अनुमोदन की प्रक्रिया

महाविद्यालयों द्वारा विधिवत अग्रेषित किए गए प्राप्त प्रस्तावों का विश्वविद्यालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति की सहायता से मूल्यांकन किया जाएगा। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों और इस योजना के अधीन उपलब्ध निधि के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे लघु अनुसंधान परियोजनाओं के मामले में इन दिशानिर्देशों का भी पालन करें।

6. अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

अनुदान की पहली किस्त में इस परियोजना की पूरी अवधि के संबंध में आयोग द्वारा अनुमोदित 100 प्रतिशत गैर–आवर्ती और 50 प्रतिशत कुल आवर्ती अनुदान होगा। यह अनुदान महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को जारी किया जाएगा।

वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, अनुदान की पहली किस्त के व्यय का विवरण और उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर दूसरी किस्त के रूप में 40 प्रतिशत कुल आवर्ती अनुदान जारी किया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत अनुदान अंतिम प्रतिपूर्ति के रूप में निम्नलिखित समापन दस्तावेजों की प्राप्ति पर जारी किया जाएगाः

1. परियोजना की अंतिम रिपोर्ट की प्रति और उसकी सॉफ्ट प्रति।

2. संपूर्ण परियोजना अवधि के दौरान खर्च किए गए व्यय का विस्तृत विवरण समेकित रूप में मद–वार निर्धारित फार्म में, जिस पर प्रधानाचार्य और प्रधान अन्वेषक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों और मुहर लगाई गई हो।

3. परियोजना के संबंध में वास्तव में प्रयुक्त रकम का निर्धारित फार्म में समेकित लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र जिस पर सरकारी आंतरिक लेखापरीक्षक/सनदी लेखाकार, प्रधानाचार्य और प्रधान अन्वेषक द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों और मुहर लगाई गई हो।

4. अनुदान की जिस राशि, यदि कोई हो, का उपयोग नहीं किया गया है, वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के संयुक्त सचिव के पक्ष में तैयार किए गए मांग ड्राफ्ट के माध्यम से तत्काल लौटाई जाएगी।

यह आवश्यक होगा कि इस लघु अनुसंधान परियोजना के अधीन प्रकाशित रिपोर्ट का कार्यपालक सारांश, अनुसंधान दस्तावेज, मोनोग्राफ, शैक्षिक लेख विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की वेबसाइट में डाला जाए।

प्रधान अन्वेषकों/संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे परियोजना के पूरा होते ही लेखों का समायोजन कर दें। यदि कोई ऐसा अनुदान शेष रह गया हो, जिसका परियोजना का पूरा होने की तारीख से 6 माह के अंदर दावा नहीं किया गया हो, तो वह व्यपगत हो जाएगा और उसके संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. सामान्य

(क) लघु अनुसंधान परियोजना के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने के बाद चुने गए प्रधान अन्वेषकों के नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वेबसाइट में डाले जाएंगे। प्रधान अन्वेषकों को चाहिए कि वे अपने नामों की जांच करें और प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत अग्रेषित अपना स्वीकृति पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को तत्काल ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुमोदन/स्वीकृति पत्र भेज सके।

(ख) परियोजना को किसी भी मामले में हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

(ग) यदि प्रधान अन्वेषक का उसके कार्य के मूल स्थान से दूसरी संस्था {विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन} में स्थानांतरण हो जाता है तो दोनों संस्थाओं की ओर से परियोजना के स्थानांतरण के संबंध में एक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि उस संस्था द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान की

जाएंगी, जिसमें वह प्रधान अन्वेषक स्थानांतरित हो गया है ताकि परियोजना के संबंध में सुचारु रूप से कार्य किया जा सके।

(घ) यदि प्रधान अन्वेषक परियोजना को पूरा नहीं कर पाता है तो वह संपूर्ण रकम ब्याज सहित लौटाएगा।

(ङ.) निर्धारित अवधि को बढ़ाने की अनुमति किसी भी स्थिति में नहीं दी जाएगी।

अनुबंध–I

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

लघु अनुसंधान परियोजना के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का फार्मेट

भाग–क

1. व्यापक विषय

2. विशेषज्ञता का क्षेत्र

3. अवधि

4. प्रधान अन्वेषक

   (i) नाम

   (ii) पुरुष / स्त्री

   (iii) जन्म की तारीख

   (iv) श्रेणी (सामान्य / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)

   (v) योग्यता

   (vi) पदनाम

   (vii) पता

   कार्यालय :

   आवास :

   ई–मेल / फोन नंबर :

5. उस संस्था का नाम, जहां परियोजना पर कार्य किया जाएगा :

   (क) विभाग

   (ख) महाविद्यालय

   (ग) संबद्ध विश्वविद्यालय

   (घ) क्या यह संस्था ग्रामीण / पिछले क्षेत्र में स्थित है

6. क्या महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन अनुमोदित है ? हॉ / नहीं

7. प्रधान अन्वेषक का शिक्षण और अनुसंधान संबंधी अनुभव :

(क) शिक्षण का अनुभव : पूर्व–स्नातक ..... वर्ष,
स्नातकोत्तर ..... वर्ष

(ख) अनुसंधान का अनुभव :

(ग) प्रकाशन

प्रकाशित लेख :

स्वीकृत

संसूचित :

प्रकाशित पुस्तकें :

स्वीकृत

संसूचित

(कृपया ऐसे लेखों और पुस्तकों की सूची संलग्न करें जो पिछले पांच वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई हों और/या स्वीकृत की गई हों)

भाग–ख

प्रस्तावित अनुसंधान कार्य

8. (i) परियोजना का नाम

(ii) प्रस्तावना

(iii) उद्देश्य

(iv) प्रविधि

(v) वर्ष–वार योजना और प्राप्त किए जाने वाला लक्ष्य

9. अपेक्षित वित्तीय सहायता

मद	अनुमानित व्यय

(i) पुस्तक और पत्रिकाएं

(ii) उपस्कर, यदि आवश्यक हों

(iii) फील्ड कार्य और यात्रा

(iv) रसायन और कांच के बर्तन

(v) आकस्मिक व्यय (विशेष आवश्यकता सहित)

(vi) भाड़ा सेवा

जोड़

10. क्या अध्यापक को बड़ी–छोटी परियोजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुसंधान परियोजना संबंधी सहायता प्राप्त हुई है या किसी अन्य एजेंसी से कोई सहायता प्राप्त हुई है? यदि हां तो कृपया उल्लेख करें :

(i) उस एजेंसी का नाम, जिसने सहायता अनुमोदित की थी

(ii) उस स्वीकृति पत्र की संख्या और तारीख, जिसके अधीन सहायता अनुमोदित की गई

(iii) अनुमोदित और उपयोग में लाई गई रकम

(iv) उस परियोजना का नाम जिसके लिए सहायता अनुमोदित की गई थी

(v) यदि परियोजना पूरी हो गई थी तो क्या परियोजना संबंधी कार्य को प्रकाशित कर दिया गया है

(vi) यदि उम्मीदवार डॉक्टर की डिग्री के लिए कार्य कर रहा हो तो क्या शोध प्रबंध प्रस्तुत कर दिया गया है और डिग्री दिए जाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उसे स्वीकृत कर दिया गया है ?(कृपया आवेदन पत्र के साथ रिपोर्ट/शोध प्रबंध का सारांश 1000 शब्दों में संलग्न करें)

(vii) यदि परियोजना पूरी नहीं की गई है तो कृपया उसके कारण बताएं

11. (क) पूरी की गई या चल रही विश्वविद्यालय की परियोजना/योजना के विवरणः

12. कोई अन्य सूचना, जो अध्यापक अपने प्रस्ताव के समर्थन में देना चाहता हो

प्रमाणित करें किः

क. यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के अधीन अनुमोदित है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है।

ख. सामान्य वास्तविक सुविधाएं यथा फर्नीचर/स्थान आदि विभाग/महाविद्यालय में उपलब्ध हैं।

ग. यदि उपर्युक्त परियोजना के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा मुझे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तो मैं इस योजना पर लागू नियमों का पालन करूंगा।

घ. मैं निर्धारित अवधि के अंदर इस परियोजना को पूरा करूंगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल रहता हूं और यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुसंधान परियोजना की प्रगति से संतुष्ट न हो तो आयोग इस परियोजना को तत्काल रद्द कर सकता है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई संपूर्ण रकम (ब्याज सहित) लौटाने के लिए कह सकता है।

ङ उपर्युक्त अनुसंधान परियोजना का वित्तपोषण किसी अन्य एजेंसी द्वारा नहीं किया गया है।

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर **प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर**

(मुहर)

अनुबंध–II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बाहदुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

अनुसंधान परियोजना संबंधी स्वीकृति प्रमाणपत्र

नाम .....

संख्या एफ ..... दिनांक .....

परियोजना का नाम .....

1. इस अनुसंधान परियोजना की सहायता किसी अन्य वित्तपोषण एजेंसी द्वारा नहीं की जा रही है।

2. इस अनुदान से संबंधित शर्तें प्रधान अन्वेषक और विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्था को स्वीकार्य हैं।

3. वर्तमान में मेरे पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित कोई अनुसंधान परियोजना नहीं है और पिछली परियोजना, यदि कोई हो, के लेखों को समायोजित कर दिया गया है।

4. यह महाविद्यालय/विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य है और इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा धारा 2(च) और 12(ख) के अधीन तैयार की गई सूची में शामिल किया गया है।

5. प्रधान अन्वेषक सेवानिवृत्त अध्यापक है और वह मानदेय प्राप्त करने का पात्र है क्योंकि उसे किसी अन्य एजेंसी से कोई मानदेय प्राप्त नहीं हो रहा है और वह कहीं किसी लाभ के पद पर भी नियोजित नहीं है।

6. (i) उसकी जन्म तिथि ..... है।

   (ii) आयु ..... वर्ष है।

7. परियोजना के कार्यान्वयन की तारीख ..... है।

प्रधान अन्वेषक

महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

मुहर

तारीख

अनुबंध–III

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बाहदुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

लघु अनुसंधान परियोजना के व्यय का विवरण

1. प्रधान अन्वेषक का नाम : .....
2. प्रधान अन्वेषक का विभाग : .....
   महाविद्यालय का नाम : .....
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन की पत्र संख्या और तारीख : .....
4. अनुसंधान परियोजना का नामः .....
5. परियोजना शुरू करने की प्रभावी तारीख : .....
6. (क) व्यय की अवधि : ..... से ..... तक
   (ख) व्यय का विवरण :

क्रम सं.	मद	अनुमोदित रकम (रुपए)	किया गया व्यय (रुपए)
i.	पुस्तक और पत्रिकाएं		
ii.	उपस्कर		
iii.	आकस्मिक व्यय (जिसमें विशेष आवश्यकता शामिल है)		
iv.	फील्ड कार्य/यात्रा (कृपया प्रोफार्मा में विवरण दें)		
v.	भाड़ा सेवा		
vi.	रसायन और कांच के बर्तन		

7. यदि जांच या लेखापरीक्षा आपत्ति के परिणामतः किसी भी समय कोई अनियमितता ध्यान में आती है तो इस रकम की वापसी या उसके विनियमन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

8. प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. एफ .....दिनांक ... . के जरिए इस योजना के अधीन ....नामक लघु अनुसंधान परियोजना की सहायता की योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त .....रुपए (कुल ..... रुपए) के अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी और यह व्यय आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया है।

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर **प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर**

मुहर

अनुबंध–IV

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बाहदुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

फील्ड कार्य पर किए गए व्यय का विवरण

प्रधान अन्वेषक का नाम : ....

उस स्थान का नाम, जिसका दौरान किया गया	दौरे की अवधि		यात्रा का तरीका	किया गया व्यय (रुपए)
	से	तक		

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त व्यय लघु अनुसंधान परियोजना के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों के अनुसार है।

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

मुहर

अनुबंध–V

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बाहदुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

उपयोगिता प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पत्र सं. एफ .....दिनांक .... के जरिए इस योजना के अधीन ....नामक लघु अनुसंधान परियोजना की सहायता की योजना के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त .....रुपए (कुल ..... रुपए) के अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी और यह व्यय आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया गया है।

प्रधान अन्वेषक	**प्रधानाचार्य**	**सांविधिक लेखाकार**
के हस्ताक्षर	**के हस्ताक्षर**	**के हस्ताक्षर**
	मुहर	**मुहर**

अनुबंध–VI

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बाहदुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

लघु अनुसंधान परियोजना के संबंध में किए गए कार्य की वार्षिक/अंतिम रिपोर्ट

(यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के समापन के बाद 6 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत की जाएगी)

1. परियोजना रिपोर्ट संख्या : पहली/अंतिम .....

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संदर्भ सं. एफ.....

3. रिपोर्ट की अवधि : ..... से ..... तक

4. अनुसंधान परियोजना का नाम .....

5. (क) प्रधान अन्वेषक का नाम .....
   (ख) विभाग .....
   (ग) महाविद्यालय, जहां कार्य किया गया .....

6. परियोजना शुरू करने की प्रभावी तारीख .....

7. रिपोर्ट की अवधि के दौरान अनुमोदित अनुदान/किया गया खर्च :

   (क) कुल अनुमोदित रकम : रुपए .....
   (ख) कुल व्यय : रुपए .....
   (ग) किए गए कार्य की रिपोर्ट (कृपया अलग पन्ना संलग्न करें) .....

   (i) परियोजना का संक्षिप्त उद्देश्य :

   (ii) अब तक किया गया कार्य और प्राप्त परिणाम तथा प्रकाशन, यदि कोई हों, जो इस कार्य से किए गए हों (लेख का विवरण और उस पत्रिका के नाम का उल्लेख करें, जिसमें यह प्रकाशित किया गया है या प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया है) ....

   (iii) क्या प्रगति कार्य की मूल योजना के अनुसार और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में है? यदि नहीं तो कारण बताएं

(iv) कृपया अध्ययन के निष्कर्षों का सारांश संलग्न करें। किए गए कार्य की अंतिम रिपोर्ट की एक जिल्दबंद प्रति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजें।

(v) कोई अन्य सूचना।

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य

(मुहर)

अनुबंध–VII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बाहदुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

परियोजना के संबंध में किए गए कार्य की अंतिम रिपोर्ट भेजते समय सूचना प्रस्तुत करने का फार्म

1. परियोजना का नाम .....
2. प्रधान अन्वेषक का नाम और पता .....
3. संस्था का नाम और पता .....
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन संबंधी पत्र की सं. और तारीख :
5. कार्यान्वयन की तारीख : .....
6. परियोजना का कार्यकाल : .....
7. आबंटित कुल अनुदान : .....
8. प्राप्त कुल अनुदान : .....
9. अंतिम व्यय : .....
10. परियोजना का नाम : .....
11. परियोजना के उद्देश्य : .....
12. क्या उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं (विवरण दें) : .....
13. परियोजना की उपलब्धि : .....
14. निष्कर्षों का सारांश (500 शब्दों में) : .....
15. समाज को योगदान (विवरण दें) : .....
16. क्या इस परियोजना से कोई पीएच डी नामांकित हुआ है/तैयार हुआ है?
17. इस परियोजना से किए जाने वाले प्रकाशनों की संख्या (कृपया संलग्न करें)

प्रधान अन्वेषक के हस्ताक्षर **प्रधानाचार्य**

(मुहर)

अनुबंध–VIII

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बाहदुर शाह ज़फर मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किया जाएगा)

प्रमाणित किया जाता है कि लघु अनुसंधान परियोजना की योजना के अधीन वित्तीय सहायता के लिए .... में स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए .... विभाग के (डॉ/ प्रोफेसर/श्री/श्रीमती) .... द्वारा "....." नामक प्रस्ताव का विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन किया गया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य थेः

विशेषज्ञ समिति का विवरण :

यह प्रस्ताव दिशानिर्देशों के अनुसार है।

प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर

(मुहर)